

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला (कटिहार)

पत्रांक- 147 काढागोला / दिनांक 09.03.2020

अति अल्पकालीन पूननिर्विदा आमंत्रण सूचना संख्या- 06/2019-20  
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)

1. कार्य का विवरण

क्रमांक/ युप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रघन की राशि (लाख रु० में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल / मैनुअल मोड में भुगतये)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	बेल्डॉन को देय "बिड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1	बरण्डी दायों तटबंध के (i) 2.34 कि.मी., (ii) 4.56 कि.मी., (iii) 4.77 कि.मी., (iv) 6.90 कि.मी. एवं (v) 10.5 कि.मी. के निकट संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा सं०- 154/309/2020)	183.57463	3.672	10000/-	5900/-	15.05.2020

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 09.03.2020
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक 16.03.2020 से 18.03.2020 के 3:00 बजे अपराह तक (सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
4. प्री-बीड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक 17.03.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार कैम्प- पूर्णियां के कार्यालय में
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय: दिनांक 19.03.2020 समय 3:00 बजे अपराह (सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 21.03.2020 समय 3:30 बजे अपराह (सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जाएगी (सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)
8. निविदा खोलने का स्थान : [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर
9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला (कटिहार)
11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदक को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने / ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
12. ई-निविदा मात्र वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) एवं [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
13. (क) E-Tendering/E-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान online mode (e-payment mode) यानि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।  
(ख) E-Tendering/E-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रघन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-payment mode) अथवा Physical Mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।  
Online Mode के तहत अग्रघन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।  
Physical Mode/Manual Payment System के तहत अग्रघन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स्ड डिपोजिट का रशीद जो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो / डाकघर का बचत पासबुक एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी

P

भी रूप में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिये बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी, जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा), इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला / अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार / मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार कैम्प- पूर्णियां के कार्यालय में दिनांक 20.03.2020 के 3:00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ग) "Bid along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement Portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay / Non submission of Tender / Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of internet connection. Network Traffic/Holidays or any other reason".

(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".

14. विभागीय पत्रांक- 50 दिनांक- 20.01.2020 के आलोक में निविदाओं के लिये निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुये, परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिये Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है, जिसका अनुपालन अनिवार्य है।
15. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरांत वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अग्रधन की राशि एवं शपथ पत्र की मूल प्रति कडिका 13 में वर्णित कार्यालयों में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगी।
16. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके सभी प्रलेख PDF, MSD Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाय, अन्य Format में Upload documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. संवेदक सुस्पष्ट स्कैन कर अपलोड किए गए कागजातों की Downloadability/ Visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
19. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु ही बीड को अपलोड कर लें।
20. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12.00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का सर्वर लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।
21. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
22. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/ सूचना हेतु ई-टेंडरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, द्वितीय तल, सिंचाई भवन पटना (0612-2235241) एवं e-Procurement Helpdesk First Floor, M/22 Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800001 Phone 0612-2523006, Mob 7542028164 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
23. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25. तकनीकी निविदा पूरी करने की न्यूनतम अहर्ता -
  - (i) निविदादाता को जल संसाधन विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित होना चाहिए।
  - (ii) पर्याप्त अग्रधन की राशि जमा होनी चाहिए।
  - (iii) शपथ पत्र क्रमांक 27, 31 एवं 32 के अनुरूप होना चाहिए।
  - (iv) कार्य से संबंधित आवश्यक न्यूनतम उपलब्ध यंत्र-संयंत्र "स्वयं/किराया सहित" से संबंधित प्रमाण पत्र।
  - (v) प्राक्कलित राशि के मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत, सदृश कार्यों को पूर्ण करने का कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों / पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
27. जल संसाधन विभाग का पत्रांक- 686 दिनांक 19.08.2014 (इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 6158 (एस) दिनांक 09.07.2014 अनुलग्नक सहित) लागू होगा एवं इसमें प्रावधानित निम्नलिखित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा:-

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishments as well as black listing."
28. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 3162(S) दिनांक 09.03.2016 लागू होगा।
29. बाढ़ 2020 पूर्व कटाव निरोधक कार्य / बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यस्थल पर बाढ़ अवधि 2020 में कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने / स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने के जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी।



30. बाढ़ 2020 अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा बालू, फिल्टर मेटेरियल (ई०सी० बैग, जियो बैग, मेगा जियो बैग इत्यादि) में बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त तब्दी में कटाव निरोधक कार्य के संवेदक की होगी।
31. निविदादाता को निविदा के समय कंडिका 29 एवं कंडिका 30 की सहमति संबंधी शपथ-पत्र की मूल प्रति ससमय समर्पित करना अनिवार्य होगा।
32. बाढ़ पूर्व जिन स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं, यदि उन स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी अपरिहार्य स्थिति में उन स्थलों पर उन्हीं संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया जाएगा, जिनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराया गया है।
33. यह कार्य आपदा से संबंधित कार्य है। उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु अवधि सीमित रहने के कारण एवं कार्यों को ससमय पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त कार्यों से संबंधित यदि कोई वित्तीय बोली (Financial Bid) एकल होता है, तो पथ. निर्माण विभाग के पत्रांक- 3162(S) दिनांक 09.05.2016 के आलोक में एकल निविदा को निस्तार करने हेतु विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।
34. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
35. संवेदक को निविदा के समय अपना E-mail ID एवं Telephone No. देना अनिवार्य होगा।
36. निविदा आमंत्रण सूचना एवं संलग्न सभी शर्तें एकरारनामा का भाग होगा।
37. इस कार्य के निविदा में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सभी अद्यतन निदेश एवं नियम प्रभावी होंगे तथा बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का या आगे बढ़ाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
38. डिबार एवं कालीकृत संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे।

  
 कार्यपालक अभियंता,  
 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला  
 मो० नं० 7463889260

पत्रांक- 147

प्रतिलिपि जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को दो प्रतियों में सी०डी० के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

काढ़ागोला / दिनांक 09.03.2020

  
 कार्यपालक अभियंता  
 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला